न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 194/36-3-2014-07(न्यू0वे0)/04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 (मात्र दो सौ सोलह) अंकों के ऊपर जनवरी, 2014 से जून 2014 के औसत अंक 241 (मात्र दो सौ इकतालीस) पर दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय हैः-.

<u>दृष्टांत</u> :- रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 241 पर दिनांक 01.10 2014 से दिनांक 31.03.2015 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$\frac{(241-216)}{216} \times 5750 = \text{रु0 } 665.60 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	
			दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.09.2014 तक	दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी(रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	612.27	665.50	6415.50	246.75
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	673.50	732.06	7057.06	271.42
3	कुशल	7085.00	754.42	820.02	7905.02	304.03

<u>नियोजनों के नाम :-</u>

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है ।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राईवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लकड़ी बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. [illegible]
27. वाणिज्य अधिष्ठान।

c/data/DA

प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त,
नोएडा

पत्र संख्या:- 2585-26/प्रवर्तन- 2014 दिनांक 29-9-2014

विषयः- कर्मचारी को न्यूनतम वेतन भुगतान किये जाने, श्रम हितकारी केन्द्रों तथा अस्पतालों का पुनर्उद्धार किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 प्रथम, का पत्र संख्या 08/अ0श्रमा0शि0(1)-2014, दिनांक 11.09.2014 एवं साथ में संलग्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच, कानपुर 87/152-153, रायपुरवा, कानपुर का ज्ञापन पत्र दिनांक 10.092014(**छायाप्रति संलग्न**) का सन्दर्भ अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच के पदाधिकारियों द्वारा दिये गये ज्ञापन में प्रवर्तन प्रभाग से सम्बन्धित श्रमिक समस्याओं पर नियमानुसार कार्यवाही/समस्याओं का समाधान कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त ज्ञापन पत्र दिनांक 10.09.2014 में उल्लिखित बिन्दु **"ए, बी, सी"** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर से निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या 180/36-3-2012, दिनांक 10.04.2012 जो इस कार्यालय से पत्र संख्या 2514-21/प्रवर्तन-12, दिनांक 12.04.2012(**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा पृष्ठांकित कर अन्य अधिकारियों सहित समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त को प्रेषित की गयी है, उल्लिखित है "कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-6 में मजदूरी का भुगतान किये जाने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख है, जिसके अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नकद अथवा श्रमिकों की लिखित सहमति से चेक अथवा उनके बैंक खाते में जमा कर किया जा सकता है"। अतः इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान चेक अथवा इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग(ECS) के माध्यम से किया जाये।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ क्षेत्र में समस्त सेवायोजकों को शासन द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक 10.04.2012 के सम्बन्ध में निर्देशित करें कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, वेतन भुगतान अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानुसार उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर चेक अथवा इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग के माध्यम से किया जाये। साथ ही सेवायोजकों को यह भी निर्देशित करें कि वे अपने श्रमिकों का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में **"जीरो बैलेन्स"** खाता खुलवायें एवम् अपने प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को वेतन पर्ची प्रदान करें तथा श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य श्रम कानूनों का पालन करना भी सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

29/9

(शालिनी प्रसाद)
श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या:- /प्रवर्तन- 2014 दिनांक ,2014

प्रतिलिपि- केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंत्र, कानपुर 87/152-153, रायपुरवा, कानपुर को उनके ज्ञापन पत्र दिनांक 10.09.2014 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- अपर श्रमायुक्त, प्रथम, मुख्यालय, कानपुर को उनके पत्र संख्या 08/अ0श्रमा0शि0(1)-2014, दिनांक 11.09.2014 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शालिनी प्रसाद)
श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।